भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1070

07.02.2020 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन

1070. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारणों और ग्लेशियरों पर इसके प्रभावों के साथ-साथ ट्रांस-हिमालय क्षेत्र, विशेषकर लद्दाख, में रहने वाले लोगों की जीवन शैली पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसी जलवायु नीति और उसे लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए प्लास्टिक के उपयोग को रोकने सहित किसी पर्यावरण-अनुकूल उद्योग नीति को विनियमित करने की योजना बनाई है; और

(ड.) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की पांचवी आकलन रिपोर्ट के अनुसार पूर्व-औद्योगिक युग से मानवजनित ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों से उनके वायुमंडलीय सांद्रणों में बड़ी व्यापक वृद्धि हुई है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने वर्ष 2000-01 से 2010-11 तक उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए संपूर्ण भारतीय हिमालयी प्रदेश में ग्लेशियरों के आगे बढ़ने और 2018 ग्लेशियरों के पीछे सरकने की निगरानी की है। इस अध्ययन से पता चलता है कि 87% ग्लेशियरों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है, 12% ग्लेशियर पीछे सरके हैं और 1% ग्लेशियर आगे बढ़े हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी) विभाग के तहत वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान (डब्ल्यूआईएचजी) द्वारा कुछ हिमालयी ग्लेशियरों के लिए अभी हाल ही में किए गए परिमाण संतुलन अध्ययन और सांइस एडवांसिस में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि बड़ी संख्या में हिमालयी ग्लेशियर अलग-अलग अनुपात में पिघल रहे हैं या पीछे सरक रहे हैं। पिछली सदी के दूसरे भाग में अपसरण में वृद्धि की प्रवृत्ति तेज होती देखी गई है यद्यपि पिघलने की कोई असामान्य प्रवृत्ति प्रलेखित नहीं की गई है। अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि आने वाले सालों में बड़े ग्लेशियर जो 10 वर्ग कि.मी. से अधिक के क्षेत्र में आते हैं उनके अधिक प्रभावित होने की संभावना नहीं है। हालांकि, 1-2 वर्ग कि.मी. या 1 वर्ग कि.मी. से कम क्षेत्र वाले छोटे ग्लेशियरों में तेजी से परिवर्तन देखे जा सकते हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के विभिन्न भागों में, भारतीय हिमालयी ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति और प्रभाव के बारे में नीतिगत जानकारी सृजित करने हेतु अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है।

(ग) सरकार, भारत के विकास पथ और पारिस्थितिकीय स्थिरता में वृद्धि करने की दृष्टि से और देश के सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना (एनएपीसीसी) को कार्यान्वित कर रही है। एनएपीसीसी में अन्य बातों के साथ-साथ हिमालयी पारि-प्रणाली की स्थिरता हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई) सहित कुल आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। एनएमएसएचई का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों और पर्वतीय पारि-प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षोपाय हेतु प्रबंधन उपाय तैयार करना है। इस मिशन में निगरानी नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से हिमालयी पारिप्रणाली की संवर्धित निगरानी, समुदाय आधारित प्रबंधन को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास और क्षेत्रीय सहयोग का सुदृढ़ीकरण करना शामिल है। सरकार ने 'हिमालयी पारिप्रणाली की स्थिरता हेतु गवर्नेंस', (जी-एसएचई), अभिशीर्षक से दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें हिमालयी क्षेत्र में सभी राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है। हिमालयी क्षेत्र में स्थित राज्यों ने भी राज्य-विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए अपनी संबंधित राज्य कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं।

(घ) और (ड.) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की दो सौर विद्युत परियोजनाएं संस्थापित करने की योजना है जिनमें से एक, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि□टेड द्वारा लेह में 50 मेगावाट क्षमता तथा दूसरी जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत लेह और कारगिल में 42 मेगावाट-घंटा के बैटरी भंडारण क्षमता वाली लगभग 14 मेगावाट की संचयी क्षमता से शुरु की जाएगी। सरकार ने देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन और प्लास्टिक प्रदूषण के निवारण हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। पूर्व में जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए दिनांक 18.06.2008 को तथा डिस्पोज़ेबल प्लेट, डिस्पोज़ेबल कप और टम्बलर, डिस्पोज़ेबल स्पून, फॉर्क और नाइव पर प्रतिबंध लगाते हुए दिनांक 26.03.2019 को अधिसूचनाएं जारी की थीं। इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लोक निर्माण विभाग ने डामर सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करने का निर्णय लिया है।

******